

सूचना का अधिकार

प्रेषक,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
प्रयागराज,

पत्र संख्या:

2फ/137/2001/2083

लखनऊ-दिनांक: 23/10/2024

विषय:-

"सूचना का अधिकार अधिनियम-2005" के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि श्री योगी एम0पी0 सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, सुरेकापुरम कालोनी, जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी, मिर्जापुर ने अपने अपने आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 24.06.2024 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। वांछित सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज से संबंधित है।

अतः श्री योगी एम0पी0 सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 24.06.2024 इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के धारा 6(3) के अन्तर्गत आंतरित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना वादी को सीधे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/  
जन सूचना अधिकारी

पत्र संख्या:


2फ/137/2001/2084(2)

तद्दिनांक

प्रतिलिपि :

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पीठासीन अधिकारी, उ0प्र0 सूचना आयोग, 7/7/ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को नोटिस सं0 202410502N100260, दिनांक 14.10.2024 के क्रम में अवगत कराना है कि डा0 प्रदीप कुमार यादव, फिजीशिय, महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर, भदोही के विरुद्ध छोटे लाल बिन्द बरौत, जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस किये जाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए अपर निदेशक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जांच प्रचलित है, जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
2. श्री योगी एम0पी0 सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, सुरेकापुरम कालोनी, जबलपुर रोड, मिर्जापुर सिटी, मिर्जापुर।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/  
जन सूचना अधिकारी